न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-122RAAJodhpur2024-51RTA223 Indra ors Vs Chaturbhuj etc

01. इन्द्रा पुत्री श्री पूनमचंद
02. ओमप्रकाश पुत्र श्री पूनमचंद
03. कलावती पुत्री श्री पूनमचंद
04. गोपाल पुत्र श्री पूनमचंद
05. धर्मचन्द पुत्र श्री पूनमचंद
06. निर्मला पुत्री श्री पूनमचंद
07. बाबुलाल पुत्र श्री पूनमचंद
08. मनोज पुत्र श्री पूनमचंद
09. गवरा देवी पत्नी श्री पूनमचंद
सभी जातियान् ब्राह्मण, निवासीगण- ग्राम कोलायत, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. चतुर्भुज पुत्र रतीराम
2. जुगलकिशोर पुत्र गोरीशंकर
3. पुष्पादेवी पुत्री रतीराम
4. रामनारायण पुत्र रतीराम
5. सरस्वती पुत्री रमीराम
6. हरिकिशन पुत्र रतीराम
जातियान् ब्राह्मण, निवासीगण- ग्राम कोलायत, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जनवरी 2023 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 205/2022 चतुर्भूज व अन्य बनाम इन्द्रा इत्यादि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 13 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 205/2022 अनवान चतुर्भूज व अन्य बनाम इन्द्रा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जनवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 09 अप्रैल 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेसपोडेंट संख्या एक से छः ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 74 रकबा 17.6928 हैक्टेयर ग्राम बड़ी सिड तहसील बाप के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2023 को वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की सुनवाई किये बिना ही तथा नोटिस सम्यक रूप से तामील करवाये बिना ही एकतरफा कार्यवाही गलत रूप से अमल में लाई गई है जो कार्यवाही विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा द्वारा अपना वाद साबित ही नहीं किया गया है न ही विवाद बिंदु कायम किया गया है, जिसका निस्तारण किये बिना ही आलौच्य निर्णय व डिक्री

पारित की गई है, जबकि विवादित बिंदु को तय किये बिना वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। इस कारण आलौच्य निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। अपीलार्थीगण एवं वादीगण के मध्य बंटवाड़ा एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से को लेकर भी विवाद है, इसलिए सर्वप्रथम हिस्से का निर्धारण किये बिना बंटवाड़े का वाद चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नही रख सके।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वार अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील नहीं करवाये जाने से अपीलांट्स को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। वर्तमान में हल्का पटवारी से नकले लेने पर रेस्पोडेंट्स द्वारा बंटवाड़ा आदेश पारित करवाये जाने की जानकारी हुई। तब अपीलांट्स द्वारा दिनांक 02.04.2024 को नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 08.04.2024 को नकले प्राप्त होने पर अपीलांट्स को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जनवरी 2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा मामला विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जावे कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वह अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर मामले का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना ही दिनांक 20.12.2022 को पोस्टल रसीदात् के आधार पर अपीलांट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में किसी प्रकार के साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है।

इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 205/2022 अनवान चतुर्भूज व अन्य बनाम इन्द्रा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जनवरी 2023 निरस्त किये जाकर विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले का विधिनुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर